प्रेस नोट जनपद मुरादाबाद

श्री हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक 31.01.2024 को जनपद मुरादाबाद से निम्न कार्यवाही की गयी-

1-हार-जीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुए 04 आरोपी गिरफ्तार,थाना बिलारीः-

अवगत कराना है दिनांक 30.01.2024 को उ0नि0 श्री प्रदीप कुमार थाना बिलारी द्वारा मय हमराही पुलिसबल के आरोपीगण 1.मोती सिंह पुत्र हरिचंद 2. प्रवेश कुमार पुत्र ज्ञानी सिंह 3. जय सिंह पुत्र रामदास निवासीगण ग्राम जमालपुर थाना बिलारी,मुरादाबाद 4. कल पुत्र सुकन निवासी ग्राम जरगांव थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद को सार्वजनिक स्थान पर हार-जीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुए 52 ताश के पत्ते व 920/-रू0 सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध मे थाना बिलारी पर मु0अ0सं0-046/24 धारा 13 जुआ अधि0 पंजीकृत किया गया।

2.अवैध देशी शराब के 15 पव्वों के साथ आरोपी गिरफ्तार,थाना बिलारीः-

अवगत कराना है दिनांक 30.01.2024 की रात्रि को उ0नि0 श्री प्रदीप कुमार थाना बिलारी द्वारा मय हमराही पुलिसबल के आरोपी प्रताप सिंह पुत्र राजपाल सिंह ग्राम जमालपुर थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद को 15 देशी शराब के पव्वे (ग्रैंड मस्ती मार्का) सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना बिलारी पर मु0अ0सं0-047/24 धारा 60 आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया।

3.गांजा सहित तस्कर गिरफ्तार,थाना ठाकुरद्वाराः-

अवगत कराना है दिनांक 30.01.2024 को उ0नि0 श्री निशांत पवार थाना ठाकुरद्वारा ने मय हमराही पुलिसबल के आरोपी फारूख पुत्र झब्बू निवासी ग्राम सरवर खेड़ा ,थाना कुंडा , जनपद उधम सिंह नगर, उत्तराखंड को 01 किलो 740 ग्राम गांजा सहित गिरफ्तार किया। इस सम्बन्ध में थाना ठाकुरद्वारा पर मु0अ0सं0-035/2024 धारा - 8/20 NDPS एक्ट पंजीकृत किया गया।

4.अवैध 10 लीटर कच्ची शराब सहित आरोपी गिरफ्तार,थाना ठाकुरद्वाराः-

अवगत कराना है दिनांक 30.01.2021 को हे0का0 अनीस द्वारा मय हमराही पुलिसबल के आरोपी सुभाष पुत्र झबरा सिंह निवासी भायपुर थाना ठाकुरद्वारा,मुरादाबाद को 10 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना ठाकुरद्वारा पर मु0अ0सं0-0036/2024 धारा-60 (1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

5. थाना छजलैट क्षेत्रांतर्गत गौ हत्या की हुई घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए थाना छजलैट पुलिस ने गौ हत्या करने के 04 आरोपीगण को किया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि दिनांक 16.01.2024 को थाना प्रभारी छजलैट को समदपुर चौराहा के पास काँवड पथ रोड के पास गाय का सिर व खाल पडी होने की सूचना मिली । जिसके सम्बन्ध मे थाना छजलैट पर मु0अ0सं0–15/2024 धारा- 3/5/8 सी एस एक्ट बनाम अज्ञात पंजीकृत हुआ । गौकशी की घटना के घटना स्थल पर कोई ऐसे प्रमाण नही मिले, जिससे प्रतीत होता हो कि गौकशी जैसी घटना उक्त स्थान पर कारित हुई है । घटना संदिग्ध प्रतीत होने पर घटनाओ के अनावरण हेतु टीमे गठित की गयी ।

इसके उपरान्त दिनाँक 29.01.2024 को थाना प्रभारी छजलैट को ग्राम चेतरामपुर के जंगल में गौकशी की सूचना प्राप्त हुई,मौके पर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण,मुरादाबाद एवं क्षेत्राधिकारी कांठ द्वारा थाना छजलैट पुलिस के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया। घटनास्थल पर एक गौवंशीय पशु जिसकी गर्दन अधकटी थी व घटनास्थल पर ही गौवंशीय पशु को काटने के उपकरण,एक लोवर जिसकी जेब से एक पर्स बरामद हुआ । पर्स में एक फोटो,डायरी व कुछ रूपये बरामद हुए। डायरी पर महमूद भाई,अजहर नाम व मोबाईल नम्बर अंकित था। फोटो की शिनाख्त करने पर फोटो महमूद पुत्र मकसूद निवासी चेतरामपुर थाना छजलैट, मुरादाबाद का होना पाया गया। उक्त संबंध में थाना छजलैट पर मु0अ0सं0- 22/2024 धारा- 3/5/8 सीएस एक्ट बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया ।

उक्त घटना भी संदिग्ध प्रतीत होने तथा दोनों घटनाओं में समानता पाये जाने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,मुरादाबाद के निर्देशानुसार,पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कांठ के नेतृत्व में टीमें गठित की गई। टीम द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुये उक्त अभियोग से सम्बन्धित घटना स्थल से प्राप्त महमूद पुत्र मकसूद निवासी चेतरामपुर थाना छजलैट, मुरादाबाद का पर्स मिलने पर महमूद से पूछतांछ की गयी । पूछतांछ के दौरान महमूद द्वारा बताया गया कि हमारे गांव के शाहबुद्दीन पुत्र मुज्जफर हुसैन निवासी ग्राम चेतराम पुर थाना छजलैट के भाई रूकसाद की मृत्यु हो गयी थी जिस कारण शाहबूददीन अपने भाई रूकसाद की मृत्यु के लिये हम लोगों को जिम्मेदार मानकर रंजीश रखता था । अभी कुछ दिन पहले शाहबुद्दीन ने मुझसे मेरा नम्बर मांगा था, आपकों जो फोटो घटना स्थल से मिला हैं,मैंने यह फोटो अपनी

सोशल मिडिया पर लगा रखा हैं ,हो सकता है मेरी सोशल साईट से फोटों निकाल कर किसी ने घटना स्थल पर रख दिया हो ।

घटना स्थल पर लोवर से महमूद का पर्स एवं फोटों मिलना संदेहास्पद प्रतीत होने पर पुलिस टीम द्वारा शाहबुददीन व अन्य संदिग्धों की सीडीआर प्राप्त कर विशलेषण किया गया। संदिग्धों के मोबाइलों के सीडीआर एवं अन्य विवेचनात्मक कार्यवाही से शाहबुददीन पुत्र पुत्र मुज्जफर हुसैन निवासी ग्राम चेतरामपुर थाना छजलैट जनपद मुरादाबाद की संदिग्धतता प्रतीत होने पर संदिग्ध शाहबुददीन को हिरास्त में लेकर पूंछतांछ की गयी ।-

विवरण पूछताछ - अभियुक्त शाहबुद्दीन पुत्र मुज्जफर नि० ग्राम चेतरामपुर थाना छजलैट जनपद मुरादाबाद ने पुलिस टीम को पूछताछ में बताया कि मेरे भाई रुखशाद की हत्या मेरे गाँव के महमूद उर्फ मोटा पुत्र मकसूद, अजहर पुत्र मोहम्मद उमर ने की थी, जिस रंजिश के चलते मैं ओर मेरा भाई जमशेद उक्त लोगों से अपने भाई, रुकसाद की हत्या का बदला लेना चाहते थे । आज से लगभग 20 दिन पहले मेरी और मेरे भाई जमशेद की मुलाकात मोनू विश्नोई निवासी रसूलपुर गुज्जर थाना कांठ व राजीव चौधरी निवासी ग्राम पचोकरा थाना छजलैट जनपद मुरादाबाद से, रमन चौधरी निवासी मानपुर खानपुर थाना छजलैट जनपद मुरादाबाद ने करायी थी। उक्त मुलाकात के दौरान उक्त तीनों व्यक्तियों ने मुझे ओर मेरे भाई को बताया था कि तुम गौकशी की घटना से सम्बन्धित गाय के अवशेष ग्राम समदपुर के आस-पास लाकर रख देना तो हम इस सूचना पर पुलिस पर दबाव बनाकर तुम्हारे विपक्षी महमूद उर्फ मोटा व अजहर ओर इसके अलावा जिसे तुम कहो उन्हें योजनाबद्ध गौकशी के मुकदमे में जेल भिजवा देंगे । राजीव चौधरी द्वारा गौवंश का खाल व सिर रखने हेतु नईम निवासी सिकरी को 2,000/- रूपये का प्रलोभन दिया तब मैनें ओर मेरे भाई जमशेद तथा नईम ने इन तीनो के कहने पर घूमतूं गाय का वध कर दिनांक 16/01/2024 को गाय का एक सिर व खाल लाकर समदपुर से मानपुर को जाने वाले रास्ते पर रखकर, सभी तीनो को सूचित कर दिया था । लेकिन जैसा हमारा तय हुआ था वैसा न होकर पुलिस द्वारा उक्त घटना के सम्बन्ध में अज्ञात में मुकदमा पंजीकृत कर हमारे विपक्षियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की थी। तब दिनांक 23/01/2024 को मानपुर खानपुर नि० रमन चौधरी हमसे दोबारा मिला ,जिसने हमे आश्वाशन देकर हमे दोबारा उक्त मोनू विश्नोई व राजीव चौधरी से मिलवाया था। इस बार उक्त तीनों ने मुझे व मेरे भाई जमशेद को बताया कि एक बार और गौकशी करो ओर इस बार तुम अपने विपक्षी महमूद उर्फ मोटा की फोटो व उसके साथी अजहर का डायरी में नाम लिखकर एक लोवर मे रखकर घटना स्थल के पास ही डाल देना और हमे सूचित कर देना। तब हम पुलिस को सूचना देंगे तब पुलिस या तो तुम्हारे विरोधियो को गिरफ्तार करेगी, नही तो एसओ अपने चार्ज से हटेगा। साहब हम दोनो भाईयो ने उक्त तीनों लोगो की बात पर विश्वास कर के दिनांक 28/01/2024 की रात्रि में अपने गांव की बिमला पत्नी स्व० सुरेश जाटव के घेर से लगभग साढ़े दस बजे उसकी गाय चोरी कर अपने ही गांव के महिपाल पुत्र गनेशी जाटव के खेत मे ले जाकर काट दी थी तथा मोनू विश्नोई , रमन व राजीव चौधरी के कहे अनुसार मौके पर महमूद उर्फ मोटा का फेसबुक से फोटो निकालकर मौके पर एक पर्स में डायरी के साथ फोटो व कुछ रू० रखकर नीले रंग के लोवर में घटना स्थल के पास डालकर रमन को सूचित कर दिया था । जिसके बाद रमन,मोनू व राजीव उपरोक्त द्वारा योजनाबद्ध तरीके से पुलिस को सूचना देकर धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। हम दोनो ने अपने भाई रुखशाद की हत्या का बदला लेने के लिए मोनू विश्नोई व रमन व

राजीव चौधरी के कहने में आकर यह सब किया। तथा इन्होंने उल्टा हमे ही फसवा दिया । चूंकि उपरोक्त घटनाओ के सम्बन्ध में थाना छजलैट पर मु0अ0सं0 15/24 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट व मु०अ०सं० 22/2024 धारा 380/411 भादवि व 3/5/8 सीएस एक्ट पंजीकृत है व पकड़े गये व्यक्ति द्वारा गाय की चोरी रात्रि मे करना भी कबूल किया है। पुलिस टीम को दोनों मुकदमे में समानता देखते हुए प्रदर्शन करने वालों पर संदेह हुआ। जिसके आधार पर आरोपी रमन,मोनू व राजीव की सीडीआर,कॉल डिटेल्स निकलवायी गयी तो उपरोक्त आरोपीगण रमन,मोनू,राजीव,शहाबूद्दीन,जमशेद की दोनों मुकदमों मे संलिप्त पायी गई। अतः उपरोक्त विवेचना मे तथ्य के आधार पर 1.शहाबुद्दीन पुत्र मुजफ्फर हुसैन निवासी ग्राम चेतरामपुर थाना छजलैट जनपद मुरादाबाद 2. जमशेद पुत्र मुजफ्फर हुसैन निवासी ग्राम चेतरामपुर थाना छजलैट जनपद मुरादाबाद 3. रमन चौधरी पुत्र इन्द्रपाल निवासी ग्राम खानपुर मुजफ्फरपुर थाना छजलैट जनपद मुरादाबाद 4. मोनू विश्नोई उर्फ सुमित पुत्र स्व0 खूब सिंह नि0 ग्राम रसूलपुर गुज्जर थाना काँठ जनपद मुरादाबाद 5.राजीव चौधरी पुत्र ऋषिपाल नि0 ग्राम चक पचोकरा थाना छजलैट जनपद मुरादाबाद 6.नईम पुत्र छोटे निवासी ग्राम सीकरी थाना छजलैट जनपद मुरादाबाद के नाम प्रकाश आये तथा मुकदमा आरोपीगण शहाबुद्दीन,रमन,मोनू,राजीव उपरोक्त को गिरफ्तार करते हुए अभियोग15/24 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट में धारा-120बी/211 भादवि की वृद्धि तथा मु0अ0सं0-22/2024 धारा-120 बी/211/ 380/457/411 भादवि की वृद्धि की गयी। अभियुक्त जमशेद व नईम की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता-

1. शहाबुद्दीन पुत्र मुजफ्फर हुसैन निवासी ग्राम चेतरामपुर थाना छजलैट जनपद मुरादाबाद
2. रमन चौधरी पुत्र इन्द्रपाल निवासी ग्राम खानपुर मुजफ्फरपुर थाना छजलैट जनपद मुरादाबाद
3. मोनू विश्नोई उर्फ सुमित पुत्र स्व0 खूब सिंहब नि0 ग्राम रसूलपुर गुज्जर थाना काँठ जनपद मुरादाबाद
4. राजीव चौधरी पुत्र ऋषिपाल नि0 ग्राम चक पचोकरा थाना छजलैट जनपद मुरादाबाद

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास-

1. रमन चौधरी पुत्र इन्द्रपाल निवासी ग्राम खानपुर मुजफ्फरपुर थाना छजलैट जनपद मुरादाबाद

मु0अ0सं0- 251/2021 धारा 366 भादवि थाना छजलैट जनपद मुरादाबाद

मु0अ0सं0-22/2024 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट व धारा-120बी/211/380/457/411 भादवि थाना छजलैट जनपद मुरादाबाद

मु0अ0सं0-15/24 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट व धारा-120बी/211 भादवि थाना छजलैट, मुरादाबाद

2.राजीव चौधरी पुत्र ऋषिपाल नि0 ग्राम चक पचोकरा थाना छजलैट जनपद मुरादाबाद

मु0अ0सं0- 210/2019 धारा 147/279/323/427/504/506 भादवि थाना छजलैट ,मुरादाबाद

मु0अ0सं0- 287/2019 धारा 323/452/504/506 भादवि थाना छजलैट जनपद मुरादाबाद

मु0अ0सं0- 397/2019 धारा 147/148/323/452/504/506 भादवि थाना छजलैट , मुरादाबाद

मु0अ0सं0-22/2024 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट व धारा-120बी/211/380/457/411 भादवि थाना छजलैट,मुरादाबाद

मु0अ0सं0-15/2024 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट व धारा-120बी/211 भादवि थाना छजलैट जनपद मुरादाबाद

3.सुमित उर्फ मोनू विश्नोई पुत्र स्व0 खूब सिंह नि0 ग्राम रसूलपुर गुज्जर थाना काँठ जनपद मुरादाबाद
मु0अ0सं0- 175/2015 धारा 147/149/283/332/353/504भादवि थाना काँठ जनपद मुरादाबाद
मु0अ0सं0 - 367/2023 धारा 147/307/323/506 भादवि थाना काँठ जनपद मुरादाबाद
मु0अ0सं0 - 417/2022 धारा 147/323/354/452/504/506 भादवि थाना काँठ जनपद मुरादाबाद
मु0अ0सं0-22/2024 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट व धारा-120बी/211/ 380/457/411 भादवि थाना छजलैट जनपद मुरादाबाद
मु0अ0सं0-15/2024 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट व धारा-120बी/211 भादवि थाना छजलैट जनपद मुरादाबाद
4. अभियुक्त शहाबुद्दीन पुत्र मुजफ्फर हुसैन निवासी ग्राम चेतरामपुर थाना छजलैट जनपद मुरादाबाद
मु0अ0सं0-22/2024 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट व धारा-120बी/211/ 380/457/411 भादवि थाना छजलैट जनपद मुरादाबाद
मु0अ0सं0-15/2024 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट व धारा-120बी/211 भादवि थाना छजलैट जनपद मुरादाबाद

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1-सतेन्द्र शर्मा थानाध्यक्ष थाना छजलैट, मुरादाबाद।
2-व0उ0नि0 जितेन्द्र वर्मा थाना छजलैट, मुरादाबाद।
3-उ0नि0 लाजपत थाना छजलैट, मुरादाबाद।
4-उ0नि0 प्रवेश कुमार थाना छजलैट मुरादाबाद
5- हे0का0 शब्दाधार, थाना छजलैट,मुरादाबाद
6-का0 नितिन, थाना छजलैट, मुरादाबाद।
7-का0 हेप्पी, थाना छजलैट, मुरादाबाद।
8-का0 नितीश कुमार थाना छजलैट, मुरादाबाद।

6-थाना बिलारी पुलिस द्वारा चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए 02 शातिर चोरो को किया गया गिरफ्तार तथा कब्जे से 01 मोटर साईकिल, 01 LED TV, सफेद व पीली धातु के आभूषण व 5250/- रुपये नकद किये बरामद।

अवगत कराना है कि दिनांक 14-08-2023 को वादी इन्तेफाक पुत्र वाहिद हुसैन निवासी ग्राम ईसापुर थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद ने अज्ञात चोरो द्वारा वादी के घर में घुसकर चोरी करने के संबंध में थाना बिलारी पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना बिलारी पर मु0अ0सं0-333/2023 धारा-380 भा0द0वि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 20-09-2023 को वादिनी निवासी थाना बिलारी क्षेत्रान्तर्गतद ने अज्ञात चोरो द्वारा वादिनी के घर से L.E.D व सोने की कुछ जैवरात व कुछ नगदी चोरी करने के संबंध में थाना बिलारी पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0-394/2023 धारा-380 भा0द0वि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

चोरी की उक्त घटनाओं के शीघ्र अनावरण हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद द्वारा पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी बिलारी के नेतृत्व में थाना बिलारी पर टीम गठित की गई। विवेचनात्मक कार्रवाई व साक्ष्य संकलन के दौरान सीसीटीवी फुटेज से एक मो0सा0 XTREME 200 पर तीन व्यक्ति चोरी का सामान ले जाते हुए दिखाई दिये समस्त सीसीटीवी फुटेज से पीछा करते हुए बिलारी से लेकर चन्दौसी तक सीसीटीवी फुटेज देखे गये जिसमें गाडी का न0 UP38-N-5386 मिला। जिसकी ऑनलाइन आरसी चैक करने पर उक्त मोटरसाईकिल विवेक पुत्र वेदप्रकाश निवासी चौधरी सराय कस्बा संभल जनपद संभल के नाम होना पाया गयी जिससे जानकारी करने पर ज्ञात हुआ उक्त मो0सा0 करीब 6 माह पहले वकील उर्फ रिजवान पुत्र असलम निवासी मौ0 चौधरी सराय कोतवाली संभल जनपद संभल द्वारा 15,000/- रूपये में खरीदी गयी थी। उक्त विवेक को अभियुक्तगणो की सीसीटीवी फुटेज दिखायी गयी जिसमे विवेक द्वारा वकील उर्फ रिजवान की पहचान की गयी व अन्य दोनो अभियुक्तो की आस पास व मुखबिरो से पहचान कराने पर उक्त तीनो अभियुक्तगण 1-वकील उर्फ रिजवान पुत्र असलम निवासी मौ0 चौधरी सराय निकट मुन्नी माता मन्दिर बालिमिकी मौहल्ले के पास थाना कोतवाली जनपद संभल 2-शहजाद पुत्र यामीन निवासी ग्राम उलधन थाना खरखौदा जनपद मेरठ हाल निवासी अगवानपुर निकट पीर मदारा थाना रामनगर जनपद नैनीताल उत्तराखण्ड 3-शहनवाज पुत्र सलीम निवासी मजीदपुरा हापुड जनपद हापुड के नाम प्रकाश में आए। इसके पश्चात लगातार तीनो अभियुक्तो की गिरफ्तारी व बरामदगी के लिए टीम बनाकर प्रयास किया गया।

उक्त क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मुरादाबाद के आदेशानुसार चोरी के मामलों मे वांछित/फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 31-01-2024 को पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, मुरादाबाद के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी बिलारी के कुशल पर्यवेक्षण में थाना बिलारी पुलिस द्वारा प्रकाश में आए चोरी करने के आरोपी 1-वकील उर्फ रिजवान पुत्र असलम निवासी मौ0 चौधरी सराय निकट मुन्नी माता मन्दिर बाल्मिकी मौहल्ले के पास थाना कोतवाली जनपद संभल 2-शहजाद पुत्र यामीन निवासी ग्राम उलधन थाना खरखौदा जनपद मेरठ हाल निवासी अगवानपुर निकट पीर मदारा थाना रामनगर जनपद नैनीताल उत्तराखण्ड को गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से एक एल0ई0डी0 एल0जी0 कम्पनी, एक जोडी टोप्स पीली धातु, एक अंगुठी पीली धातु , एक जोडी पाजेब सफेद धातु तथा घटना मे प्रयुक्त एक मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन न0 UP38N-5386 हीरो XTREME 200 रंग ब्लैक एंड रैड तथा 5250/- रूपये नगद बरामद किये गये। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्तो में धारा-411 की वृद्धि की गयी। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरणः-

पुलिस द्वारा पूछताछ में अभियुक्तगणो ने बताया कि दिनांक 20-09-2023 को दिन में मौ0 हर्ष नगर बिलारी के एक घर से सोने व चाँदी के जेवर तथा एलईडी व 26000/- रूपये चोरी किये थे उस समय साथ में हम दोनो के अलावा शहनबाज पुत्र सलीम निवासी मजिदपुरा जनपद हापुड भी था। घर से 26000/- रूपये व जेवरात चोरी किये थे जो हम तीनो ने आपस मे बांट लिये थे जो रूपये आप लोगो ने हमसे बरामद किये है वह रूपये उन्ही मे से बचे रूपये है तथा बरामद मोटर साईकिल न0 UP38N-5386 रंग लाल व काला हीरो XTREME 200 के बारे मे दोनो द्वारा बताया कि इसी मोटरसाईकिल को प्रयोग करके हम तीनो चोरी करते है। वकील उर्फ रिजवान द्वारा बताया कि यह मोटरसाईकिल मैने अपने मोहल्ले के विवेक पुत्र वेदप्रकाश वाल्मिकी से करीब 06 महिने पहले 15,000/- रूपये में खरीदी थी। दिनांक 13/14-08-2023 की रात्रि को ग्राम ईसापुर मे हम तीनो ने ही एक घर मे चोरी की थी जिसमें कुछ जेवरात व रूपये मिले थे। साहब उन्ही में से वकील की बायीं जेब से जो एक जोडी पाजेब और एक जोडी कानो की बाली मिली है उसी चोरी की है। बाकी रूपया हम लोगो ने खर्च कर लिया है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1-वकील उर्फ रिजवान पुत्र असलम नि0 मौ0 चौधरी सराय निकट मुन्नी माता मन्दिर बालिमिकी मोहल्ले के पास थाना कोतवाली जनपद संभल।

2-शहजाद पुत्र यामीन निवासी ग्राम उलधन थाना खरखौदा जनपद मेरठ हाल निवासी अगवानपुर निकट पीर मदारा थाना रामनगर जनपद नैनीताल उत्तराखण्ड।

गिरफ्तारी को शेष अभियुक्तः-

1-शहनवाज पुत्र सलीम निवासी मजीदपुरा हापुड़ जनपद हापुड़ (वर्तमान मे डासना जेल में निरूद्ध है।)

बरामदगी का विवरणः-

1-एक अदद एल.ई.डी. एल.जी. कम्पनी
2-एक जोडी टोप्स पीली धातु
3-एक अंगुठी पीली धातु
4-एक जोडी पाजेब सफेद धातु
5-5250 रूपया नगद
6-एक मोटर साईकिल न0 UP38N-5386 हीरो XTREME 200 रंग ब्लैक एंड रैड

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहासः–

अभियुक्त वकील उर्फ रिजवान उपरोक्त

1.मु0अ0सं0 394/2023 धारा 380/411 भादवि थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद
2.मु0अ0स0 333/2023 धारा 380/411 भादवि थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद

3.मु0अ0स0 02/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व 3(1) गै0एक्ट थाना नखासा जनपद संभल
4.मु0अ0स0 32/2022 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट थाना नखासा जनपद संभल
5.मु0अ0स0 292/22 धारा 392/411 भादवि थाना नखासा जनपद संभल
6.मु0अ0स0 368/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नखासा जनपद संभल
7.मु0अ0स0 545/21 धारा 384/457/411 भादवि थाना नखासा जनपद संभल
8. मु0अ0स0 346/2019 धारा 457/380 भादवि थाना बनियाठेर जनपद संभल
9.मु0अ0स0 77/20 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना हयातनगर जनपद संभल
10. मु0अ0स0 121/20 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना हयातनगर जनपद संभल
11. मु0अ0स0 375/19 धारा 380/457/427/511 भादवि थाना हयातनगर जनपद संभल
12. मु0अ0स0 443/19 धारा 392/411 भादवि थाना हयातनगर जनपद संभल
13. मु0अ0स0 449/19 धारा 380/457/411 भादवि थाना हयातनगर जनपद संभल
14. मु0अ0स0 469/19 धारा 147/148/149/307 भादवि थाना हयातनगर जनपद संभल

अभियुक्त शहजाद उपरोक्त

1.मु0अ0सं0 394/2023 धारा 380/411 भादवि थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद
2.मु0अ0स0 333/2023 धारा 380/411 भादवि थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.प्रभारी निरीक्षक श्री रवीन्द्र प्रताप सिंह थाना बिलारी,मुरादाबाद ।
2.उ0नि0 श्री सतेन्द्र सिंह थाना बिलारी,मुरादाबाद ।
3.उ0नि0 श्री विनीत कुमार थाना बिलारी ,मुरादाबाद ।
4.हे0का0 अवनीश कुमार थाना बिलारी ,मुरादाबाद ।
5.हे0का0 अनुज कुमार थाना बिलारी,मुरादाबाद ।
6.का0 अरविन्द कुमार थाना बिलारी ,मुरादाबाद ।
7.का0 शिवनेश कुमार थाना बिलारी,मुरादाबाद ।